राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.14(4)वित्त(नियम)/2006 पार्ट जयपुर, दिनांक : 23 APR 2025

आदेश

विषयः कार्य प्रभारित कार्मिकों को विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में।

वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-3-2023 द्वारा कार्य प्रभारित कार्मिकों के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

"8. जो कार्मिक प्रस्तावित पदोन्नति चैनल में उल्लेखित वेतनमान से अधिक वेतनमान में किसी भी कारण से यथा चयनित वेतनमान में आदेश दिनांक 25-1-1992/17-2-1998 के पैरा 5 के स्थान पर निरसित पदोन्नति वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे थे अथवा पूर्व की उच्च योग्यता के कारण उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, उनके विद्यमान वेतनमान/पे-लेवल को संरक्षित किया जायेगा। यदि संबंधित कार्मिक को पदोन्नति पद के लिए निर्धारित अनुभव की पात्रता अवधि पूर्ण करने पर पदोन्नत किया जाता है एवं पदोन्नति पद का पे लेवल विद्यमान पे लेवल से कम है तो वह पदोन्नति पद के पदनाम के साथ विद्यमान पे लेवल में वेतन प्राप्त करता रहेगा तथा ऐसे प्रकरणों में पृथक से वेतन निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

23.4.25

(देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया (वित्त)
4. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्री/ माननीय राज्य मंत्री
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
8. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप - 7)
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Work Charge - 1 / 2025)